43

माननीय राजस्व मंडल मध्य-प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांकः- /2009-2010 निगरानी- 1558- II/09

मंगलप्रसाद पुत्र श्री कन्ठ जाति ब्राह्मण
निवासी ग्राम बगुलारी पर. गोहद जिला
भिन्ड म.प्र. ------ निगरानीकर्ता

बनाम

1. शंकरलाल पुत्र हरमुख जाति जाटव
निवासी ग्राम अगनू का पुरापर. गोहद जिला
भिन्डम0प्र0
2. जमुनाप्रसाद पुत्र शिवलाल जाति जाटव
निवासी ग्राम अगनू का पुरा पर. गोहद
जिला भिन्ड --- अनावेदकगण
3. लज्जाराम पुत्र रामदीन जाति जाटव
निवासी ग्राम अगनू का पुरा पर. गोहद
जिला भिन्ड म.प्र. --- तरतीवीप्रतिप्रार्थी

निगरानी आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भूराजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 6.7.2009 पारित द्वारा न्यायालय आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरणक्र. 72/2005-06 निगरानी , जिसके द्वारा निगरानीकर्ता को निरस्त की जाकर अनुविभागीय अधिकारी गोहद के प्रकरण क्रमांक 68-2004-05/अ.मा में प्रस्तुत आवेदनपत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. में प्रस्तुत आवेदन को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त किए जानेके आदेश दिनांक 23.3.2006 को पुष्टि कीगईहै ।

16/11/09

दिनांक 30-5-2005

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 1558–दो/09 जिला – भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-12-2016	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 72/05–06/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 06–7–2009 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 3 लज्जाराम द्वारा तहसील न्यायालय में इस आशय का आवेदन पेश किया कि ग्राम वनीपुरा स्थित भूमि सर्वे नं. 37 रकबा 0.552 हैक्टर में से रकबा 0.447 हैक्टर पर उसका 10 वर्ष से कब्जा होने से इस भूमि का पट्टा उसे प्रदान किया जाये । तहसीलदार ने प्रकरण पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 7–9–94 द्वारा लज्जाराम के पक्ष में व्यवस्थापन किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 व 2 ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की जो उन्होंने आदेश दिनांक 26–12–2000 द्वारा स्वीकार कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देकर गुणदोष के आधार पर आदेश पारित किया जाये । इस आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 9–9–2003 द्वारा निरस्त की । इसके उपरांत तहसील न्यायालय ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही करते हुए पुनः 27–11–04 को आदेश पारित कर लज्जाराम के पक्ष में व्यवस्थापन	

R- 1558. /09

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	किया गया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 एवं 2 ने अनुविभागीय अधिकारी, गोहद के न्यायालय में अपील पेश की जिसके साथ अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पेश किया । अनुविभागीय अधिकारी ने अपने अंतरिम आदेश दिनांक 23–3–06 द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन स्वीकार करते हुए पक्षकारों को तलब किया । उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की जिसमें अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश पारित किया है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानरी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि अीनस्थ न्यायालयों का आदेश विधिसम्मत नहीं है । विवादित भूमि आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक कमांक 1 एवं 2 से पंजीकृत विकयपत्र से उचित प्रतिफल देकर कय की थी और विकयपत्र के आधार पर आवेदक का नामांतरण हो चुका था । उक्त तथ्यों पर विचार न कर तथा आवेदक द्वारा आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत आवेदन पर विचार न कर न्यायिक त्रुटि की है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त कर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष लंबित प्रकरण में पक्षकार बनाकर प्रकरण का निराकरण गुणदोषों के आधार पर निराकृत करने के आदेश दिए जाने का अनुरोध किया गया है । 4/ अनावेदकगण प्रकरण में एकपक्षीय हैं । 5/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि विद्वान आयुक्त ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 1558–दो/09 जिला – भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया गया है । अभिलेख से यह भी पाया जाता है कि इस प्रकरण में जो प्रश्नाधीन भूमि है वह शासकीय थी जिसका पट्टा लज्जाराम को दिया गया था और लज्जाराम द्वारा उस भूमि का विकय आवेदक मंगलप्रसाद को बिना सक्षम अकिारी की अनुमति के किया गया है जो संहिता की धारा 165 के प्रावधानों के विपरीत है । ऐसी स्थिति में विद्वान आयुक्त द्वारा लज्जाराम का पट्टा निरस्त करते हुए वादित भूमि को शासकीय दर्ज करने का जो आदेश दिया गया है वह उचित और विधिसम्मत है और उसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाता है । सदस्य	